

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2010/अग्रहायण 9, 1932

No. 646]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2010/AGRAHAYANA 9, 1932

वाणिज्य और दुद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) अधिसूचना

આવ**તૂ**વના

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 930(अ).—अपील बोर्ड, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 117ज द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातृ :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (पेटेंट प्रक्रिया) नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) अभिप्रेत है;
 - (ख) "तामील के लिए पता" से किसी अपीलार्थी या आवेदक या प्रत्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता या उसके विधि व्यवसायी द्वारा दिया गया वह पता अभिप्रेत है, जिस पर समनों, सूचनाओं अथवा अन्य आदेशिकाओं की तामील की जा सकती है ;
 - (ग) "अभिकर्ता" से किसी अपीलार्थी या आवेदक अथवा प्रत्यर्थी द्वारा अपील बोर्ड के समक्ष उसकी ओर से अपील, आवेदन, प्रतिकथन, उत्तर, प्रत्युत्तर, साक्ष्य अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 125 में विनिर्दिष्ट कोई अभिकर्ता भी है;
 - (घ) ''अपील'' से धारा 117क के अधीन कोई अपील अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आरंभिक अपील (ओ.ए.) और धारा 117छ के अनुसरण में स्थानांतरण अपील (टी.ए.) भी है;
 - (ङ) "अपीलार्थी" से धारा 117क के अधीन अपील बोर्ड से अपील करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (च) "आवेदन" से धारा 71 के अधीन पेटेंट के रिजस्टर की परिश्दि या धारा 64 के अधीन पेटेंट का प्रतिसंहरण करने के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है;
- (छ) "उप रजिस्ट्रार" से अपील बोर्ड का उप रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी भी है जिसको उप रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित किए जाएं;
- (ज) "फीस" से इन नियमों की दूसरी अनुसूची के अधीन विहित फीस अभिप्रेत है ;
- (झ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (ञ) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ है, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961का 25) में है :
- (ट) "विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है ;
- (ठ) "प्रकीर्ण याचिका" से अपील बोर्ड को लिखित में की गई ऐसी कोई याचिका या प्रार्थना अभिप्रेत है जो धारा 64 या धारा 71 के अधीन कोई आवेदन या धारा 117क के अधीन कोई अपील नहीं है;
- (ड) "अभिवचन" के अंतर्गत अपील बोर्ड के समक्ष फाइल किए जाने के लिए अनुज्ञेय अपील या आवेदन, प्रतिकथन, प्रत्युत्तर और उत्तर, हैं;
- (ढ) "रजिस्ट्री" से अपील बोर्ड की रजिस्ट्री अभिप्रेत हैं ;
- (ण) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (त) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- (थ) "अंतरित आवेदन या अपील" से ऐसी कोई अपील या आवेदन या अन्य कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं. जिसे धारा 117छ के अधीन अपील बोर्ड को अंतरित किया गया है ;
- (द) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम या व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में क्रमशः उनके हैं;
- 3. अपील या आवेदन की प्रक्रिया का प्ररूप (1) धारा 117क के अधीन नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार के किसी विनिश्चय, आदेश या निदेश के विरुद्ध कोई अपील, पेटेंट (बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के लिए अपील और आवेदन) नियम, 2010 की पहली अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप 1 में फाइल की जाएगी।
 - (2) पेटेंट के परिशोधन या प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन, पेटेंट (बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के लिए अपील और आवेदन) नियम, 2010 की पहली अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप 2 में फाइल किया जाएगा ।

- (3) डाक द्वारा भेजी गई कोई अपील या आवेदन उस तारीख को रजिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जिस तारीख को वह रजिस्ट्री में प्राप्त हुआ था।
- 4. अपील या आवेदन का लिखित में होना- (1) अपील बोर्ड के समक्ष फाइल की जाने वाली प्रत्येक अपील, आवेदन, प्रतिकथन, प्रत्युत्तर, उत्तर या अन्य दस्तावेज, केवल फुल स्केप सीट की एक तरफ साफ-साफ टाइप किया हुआ या मुद्रित होगा।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन अपील या आवेदन, पेपर बुक के रूप में दो सेट में फाइल के आकार के मजबूत और पर्याप्त रूप से बड़े खाली लिफाफे, जो पेपर बुक को कवर कर सके, के साथ एक पेश किया जाएगा जिसमें प्रत्यर्थी का पूरा पता लिखा होगा और एक से अधिक प्रत्यर्थी की दशा में, पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पेपर बुक, प्रत्येक प्रत्यर्थी के यथा अपेक्षित पूरे पते वाले फाइल आकार के खाली लिफाफे के साथ अपीलार्थी या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5. अपील या आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- (1) प्रत्येक आवेदन, आवेदन के समर्थन में निर्भर किए जाने वाले साक्ष्य को, शपथपत्र के प्ररूप में उससे उपाबद्ध प्रदर्शों सहित, यदि कोई हो, पेपर बुक प्ररूप में संलग्न किया जाएगा ।
 - (2) प्रत्येक फाइल की गई अपील के साथ ऐसे आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है, प्रति संलग्न होंगी जिसमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी।
 - (3) किसी शपथपत्र से संलग्न किए जाने के लिए आशयित दस्तावेज प्रदशौं के रूप में निर्दिष्ट किए जाएंगे और उसी रीति से जैसे अपील बोर्ड द्वारा प्रदर्श ग्रहण किए गए हैं, चिन्हित किए जाएंगे।
 - (4) प्रत्येक अपील या आवेदन, यदि अपीलार्थी या आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की गई है तो व्यक्ति की सक्षमता का कथन करते हुए एक, शपथपत्र, ऐसी अपील या आवेदन के साथ फाइल किया जाएगा और शपथपत्र में अभिसाक्षी का नाम और पता तथा उसकी पहचान का उचित विवरण का कथन किया जाएगा और उसमें यह भी कथन किया जाएगा कि वह किस हैसियत में ऐसा कर रहा है और क्या वह इसके लिए प्राधिकृत है और यदि हां तो किसके द्वारा तथा किस लिखित के द्वारा ऐसा किया गया है और उसकी एक प्रति शपथपत्र के साथ संलग्न की जाएगी।
 - (5) जहां किसी पक्षकार का किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है वहां प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण की एक प्रति, अपील या आवेदन के साथ उपाबद्ध की जाएगी।
- 6. फीस- अपील बोर्ड के समक्ष, प्रतिकथन, तीसरे पक्षकार द्वारा मध्यक्षेप, समय के विस्तार, सुनवाई के स्थगन के लिए याचिका और पुनर्विलोकन याचिका फाइल करने के लिए फीस, दूसरी अनुसूची में उपबंधित की गई अनुसार होगी जो उप रिजस्ट्रार, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के पक्षकार में आहरित, चैन्नई में संदेय, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा संक्त की जाएगी।
- 7. प्राधिकरण- (1) कोई अपील, आवेदन या याचिका, पक्षकारों द्वारा या किसी ऐसे/ऐसी अधिवक्ता द्वारा जो उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित और सम्यक रूप से उसके द्वारा

रवीकृत वकालतनामा रखता हो या रखती हो या ऐसे किसी पेटैंट अभिकर्ता द्वारा जो विधिमान्य प्राधिकार रखता हो, प्रस्तुत की जाएगी ।

- (2) किसी प्रक्रिया या मामले के संबंध में किसी व्यक्ति को किए जाने के लिए निर्देशित सभी संसूचनाएं, ऐसे अधिवक्ता या अभिकर्ता को दी जा सकेंगी और अधिवक्ता या अभिकर्ता पर तामील को, इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति पर तामील किया जाना समझा जाएगा और अपील बोर्ड के समक्ष सभी उपस्थितियां ऐसे अधिवक्ता या अभिकर्ता द्वारा या उसके माध्यम से की जा सकेंगी।
- 8. अपील या आवेदन का सत्यापन- प्रत्येक अभिवचन, पाद-भाग में, पक्षकार द्वारा या अभिवचन के किए जाने वाले, अपील बोर्ड को समाधानप्रद रूप में साबित, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सत्यापित करने वाला व्यक्ति अभिवचन के संख्यांकित पैराओं के संदर्भ द्वारा यह सत्यापित करेगा कि वह स्वयं की जानकारी से क्या सत्यापित करता है और वह प्राप्त सूचना पर तथा उसके सत्य होने का विश्वास करते हुए क्या सत्यापित करता है और उसको करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उस तारीख का, जिसको वह हस्ताक्षरित किया गया था, और उस स्थान का, जहां उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, कथन किया जाएगा।
- 9. अपील या आवेदन का प्रस्तुतिकरण और संवीक्षा- (1) उपरजिस्ट्रार, प्रत्येक अपील या आवेदन पर अपने हस्ताक्षर सहित वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको यह प्रस्तुत की जाती है।
 - (2) यदि, संवीक्षा करने. पर, अपील या आवेदन को ठीक पाया जाता है तो इसे सम्यक् रूप से रिजस्ट्रीकृत किया जाएगा और एक क्रम संख्या दी जाएगी और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अपील या आवेदन तब तक रिजस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी त्रुटि परिशोधित नहीं कर दी जाती है।
 - (3) यदि किसी अपील या आवेदन को त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और पाई गई त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है तो उप रिजस्ट्रार, अपीलार्थी या आवेदक को अपने सामने उसे परिशोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा और यदि उक्त त्रुटि आपैर्चारिक प्रकृति की नहीं है तो उप रिजस्ट्रार अपीलार्थी या आवेदक को, त्रुटि का परिशोधन करने के लिए पंद्रह दिन के समय की, जो वह ठीक समझे, अनुज्ञा दे सकेगा और यदि अपील या आवेदन को डाक द्वारा भेजा गया है और उसे त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उप रिजस्ट्रार त्रुटियों की संसूचना अपीलार्थी या आवेदक को देगा और अपीलार्थी या आवेदक को त्रुदियों का परिशोधन करने के लिए, उप रिजस्ट्रार से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन का समय अनुज्ञात करेगा।
 - (4) यदि अपीलार्थी या आवेदक उपनियम (3) में अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटियों का परिशोधन करने में असफल रहता है, तो अपील या आवेदन को परित्यक्त समझा जाएगा, जब तक कि समय का विस्तार नहीं किया गया है या त्रुटि के परिशोधन में हुए विलंब को माफ नहीं कर दिया जाता है, तो किसी भी दशा में उप रजिस्ट्रार द्वारा, यथास्थिति, 30 दिन से अधिक नहीं होगा ।

- 10. प्रत्यर्थियों को अपील या आवेदन की सूचनाएं- पेपर बुक प्ररूप में अपील या आवेदन की एक प्रति की, रिजस्ट्री में उसके द्वारा रिजस्ट्रीकृत किए जाते ही रिजस्ट्री द्वारा प्रत्यर्थियों पर तामील की जाएगी ।
- 11. प्रत्यर्थी द्वारा अपील या आवेदन और अन्य दस्तावेजों का प्रतिकथन फाइल किया जाना-पहली अनुसूची में विहित, यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में फाइल की गई अपील या आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्यर्थी, उसे आवेदन या अपील फाइल किए जाने की सूचना के तामील की तारीख से दो मास के भीतर रिजस्ट्री के समक्ष पहली अनुसूची के प्ररूप 1 में, फीस और ऐसे दस्तावेजों के साथ, जिनके अंतर्गत शपथपत्रों के रूप में साक्ष्य भी है, यदि कोई हो, प्रतिकथन को दो संपूर्ण सेटों में पेपर बुक के रूप में फाइल कर सकेगा और प्रतिकथन की एक प्रति, दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्थी द्वारा रिजस्ट्री को सूचना देते हुए सीधे अपीलार्थी या आवेदक को तामील की जाएगी और तब मामले की सुनवाई प्रारंभ की जाएगी
- 12. शपथपत्र और प्रदर्श- (1) शपथपत्र में, संबंधित मामले या मामलों में शीर्षक होगा, प्रथम पुरुष में लेखबद्ध होगा, पैरा में विभाजित होगा, क्रम से संख्यांकित होगा और प्रत्येक पैरा यथासाध्य एक विषय तक सीमित होगा। प्रत्येक शपथपत्र में, उसको करने वाले व्यक्ति का विवरण और उसका सही निवास स्थान होगा, उसमें उसको फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम और पता होगा तथा यह कथन होगा कि वह किसकी ओर से फाइल किया गया है।
 - (2) जहां किसी शपथपत्र में दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त हैं, उनमें से प्रत्येक, ऐसे तथ्यों का पृथक रूप से अभिसाक्ष्य देगा जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी में हैं तथा उन तथ्यों का पृथक पैराओं में कथन किया जाएगा।

(3) शपथपत्र,-

- (क) भारत में, किसी न्यायालय या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विधिक प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के समक्ष या शपथ दिलाने या शपथपत्रों को करने के लिए उपरोक्त रूप में ऐसे न्यायालय द्वारा सशक्त किए गए किसी अधिकारी के समक्ष, किए जाएंगे।
- (ख) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में, ऐसे देश या स्थान के राजनयिक और कोंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 के अर्थांतर्गत किसी राजनयिक या कौंसलीय आफिसर के समक्ष अथवा उस देंश या स्थान के नोटरी पब्लिक के समक्ष या किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाएंगे।
- (4) वह व्यक्ति, जिसके समक्ष कोई शपथपत्र किया जाता है, वह तारीख और स्थान जहां उसको किया गया है, कथन करेगा और अपनी मुद्रा, यदि कोई है, या उस न्यायालय की मुद्रा, जिससे वह संबद्ध है, लगाएगा तथा उसके अंत में अपने नाम के हरताक्षर और पदनाम लिखेगा।
- (5) कोई शपथपत्र, जो उपनियम(4) द्वारा शपथपत्र लेने के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति की, उसके समक्ष लिए गए शपथपत्र के परिसाक्ष्य में, उसमें या उस पर नुद्रा लगाने, छापने

- या हस्ताक्षर करने के लिए तात्पर्यित है, उसको उप रजिस्ट्रार द्वारा उस व्यक्ति की मुद्रा या हस्ताक्षर या पदीय प्रकृति की वास्तविकता के सब्त के बिना ग्रहण किया जा सकेगा।
- (6) परिवर्तन और अंतरालेखन, किसी शपथपत्र के शपथपत्र ग्रहण या प्रतिज्ञान करने से पूर्व, उस व्यक्ति के, जिसके समक्ष शपथपत्र किया गया है, आद्यक्षरित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।
- (7) जहां शपथपत्र में प्रदर्श हैं वहां ऐसे प्रत्येक प्रदर्श की एक प्रति, अन्य पक्ष या पक्षों को भेजी जाएगी और मूल प्रतियों को जब कभी अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्ट्री में यथा अपेक्षित प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक अपील बोर्ड अन्यथा निदेश न करे, सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जाएगा।
- 13. अपीलार्थी या आवेदक द्वारा उत्तर का फाइल किया जाना- अपीलार्थी या आवेदक प्रतिकथन की प्राप्ति के पश्चात्, उसे प्रतिकथन की तामील के दो मास के भीतर, रजिस्ट्री में शपथपत्रों के रूप में साक्ष्यों सहित, यदि कोई हों, अपने उत्तर को दो प्रतियों में फाइल कर सकेगा और उत्तर की एक प्रति रजिस्ट्री को सूचना देते हुए, सीधे प्रत्थर्थी को तामील की जाएगी।
- 14. अपील के साथ अतिरिक्त दस्तावेजों का फाइल किया जाना-कोई पक्षकार, सिवाय अपील बोर्ड की इजाजत के और याचिका के रूप में लिखित में की गई किसी प्रार्थना द्वारा उसकी अभिप्राप्ति के, अपील पेपर बुक में ऐसे किसी निर्भर दस्तावेज या ऐसे किसी फाइल किए गए दस्तावेज की, जो नियंत्रक के समक्ष पूर्व में फाइल नहीं किए गए हैं, विरोधी पक्षकारों पर तामील नहीं करेगा।
- 15. दस्तावेजों का अनुवाद- जहां किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज हिन्दी या अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा में निर्दिष्ट किया जाता है वहां उसका हिन्दी या अंग्रेजी में अनुप्रमाणित अनुवाद की प्रति ऐसी अधिकारिता रखने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित, दो प्रतियों में अपील बोर्ड को भेजी जाएगी और उसकी एक प्रति रिजस्ट्री की सूचना के अधीन अन्य पक्षकार या पक्षकारों को सीधे ही तामील की जाएगी।
- 16. समय का विस्तारण- (1) यदि अपील बोर्ड का, प्ररूप 2 में उसको दी गई विहित फीस से साथ किसी याचिका पर यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के अधीन विहित कार्य करने के लिए समय विस्तारण हेतु (इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित समय नहीं है) पर्याप्त कारण हैं, चाहे इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया समय समाप्त हो गया है अथवा नहीं, तो वह ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, समय विस्तारित कर सकेगा और तदनुसार पक्षकारों को सूचित करेगा।
 - (2) उपनियम (1) की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि अपील बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वह समय विस्तारण की किसी याचिका के निपटारे से पूर्व पक्षकारों की सुनवाई करे।
- 17. तीसरे पक्षकारों द्वारा हस्तक्षेप- नियंत्रक के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध धारा 117क के अधीन फाइल की गई किसी अपील या पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए या रिजस्टर के

परिशोधन के लिए किसी आवेदन के संबंध में अनुदत्त पेटेंट में हित अभिकथित करने वाले पेटेंटी से भिन्न कोई व्यक्ति, पक्षकार बनाने/मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए विहित फीस के साथ प्रथम अनुसूची में दिए गए विहित प्ररूप 3 में अपने हित की प्रकृति का कथन करते हुए आवेदन कर सकेगा और अपील बोर्ड, सुनने के पश्चात् ऐसी इजाजत से इंकार कर सकेगा या यदि ऐसा करना अपेक्षित है तो संबद्ध पक्षकारों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, ऐसी इजाजत प्रदान कर सकेगा।

- 18. सुनवाई की तारीख का अधिसूचित किया जाना- रजिस्ट्री पक्षकारों को, अपील या आवेदन की सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के बारे में ऐसी रीति से, जो अध्यक्ष साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, अधिसूचित करेगा।
- 19. अपील या आवेदन की सुनवाई- (1) नियत तारीख को या उस तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थिगित की गई हो, अपील बोर्ड की न्यायपीठ द्वारा पक्षकारों की सुनवाई की जाएगी।
 - (2) उस दशा में, जहां अपीलार्थी, आवेदक या याची सुनवाई पर उपसंजात नहीं होता है, अपील या आवेदन या याचिका को परित्यक्त माना जाएगा जब तक कि उसने नियम 20 के अधीन स्थगन की वांछा न की हो।
- 20. सुनवाई का स्थगन- सुनवाई का कोई पक्षकार, दूसरे पक्षकार को स्थगन के लिए याचिका की एक प्रति तामील करने के पश्चात् सुनवाई की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व विहित फीस सिहत प्ररूप 4 में सुनवाई के स्थगन के लिए दो प्रतियों में याचिका प्रस्तुत कर सकेगा और अपील बोर्ड याचिका पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।
- 21 अपील बोर्ड द्वारा खर्च अधिनिर्णीत करना अपील बोर्ड, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों को ऐसे खर्च अधिनिर्णीत कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे।
- 22. अपील बोर्ड की भाषा- (1) अपील बोर्ड की कार्यवाहियां, अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित होंगी ।
 - (2) अपील बोर्ड के सभी विनिश्चय या आदेश, या तो अंग्रेजी में अथवा हिन्दी में होंगे ।
- 23. आदेश पर हस्ताक्षर करना और तारीख डालना- (1) अपील बोर्ड के प्रत्येक आदेश पर न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी ।
 - (2) आदेश को न्यायपीठ की बैठक में सुनाया जाएगा ।
- 24. आदेशों की संसूचना न्यायपीठ द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक-एक प्रमाणित प्रति अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता या उनके विधि व्यवसायियों को मेजी जाएगी ।

- 25. आदेशों का प्रकाशन न्यायपीठ के ऐसे आदेशों को, जिन्हें किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए ठीक समझा जाता है, ऐसे प्रकाशनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएं, जारी किया जाएगा।
- 26. पुनर्विलोकन याचिकाएं (1) अपील बोर्ड के किसी आदेश के प्रक्रियात्मक या लेखन गलितयों तक सीमित पुनर्विलोकन के लिए याचिका, दो प्रतियों में, आदेश की संसूचना की तारीख से दो मास के भीतर, विहित फीस के साथ पहली अनुसूची में दिए गए प्ररुप 5 में, ऐसे आधारों को, जिन पर पुनर्विलोकन की मांग की गई है, उपवर्णित करने वाले एक कथन के साथ रजिस्ट्री को दी जा सकेगी और जहां प्रश्नगत आदेश, एक से अधिक प्रत्यर्थियों से संबंधित है, वहां पर्याप्त संख्या में ऐसी याचिका और कथन की अतिरिक्त प्रतियां फाइल की जाएंगी।
 - (2) रजिस्ट्री, याचिका और कथन को पुनर्विलोकन याचिका के प्रत्यर्थियों को भेजेगी।
 - (3) प्रत्यर्थी, पुनर्विलोकन याचिका की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर पहली अनुसूची में दिए गए प्ररुप 4 में प्रतिकथन फाइल कर सकेंगे और रेजिस्ट्री को सूचना देते हुए, प्रति कथन की एक प्रति को सीधे याची को भेजेंगे।
 - (4) पुनर्विलोकन याचिका को अध्यक्ष द्वारा सुनवाई के लिए किसी न्यायपीट के समक्ष भेजा जाएगा ।
- 27. आदेशों के परिशोधन नियम 26 में किसी बात के होते हुए भी, अपील बोर्ड या ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ, जिसने कोई निर्णय, आदेश या निदेश जारी किया था, किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा लिखित में की गई प्रार्थना पर, किसी ऐसे निर्णय, आदेश या निदेश या किसी लेखन गलती का परिशोधन या उसे शुद्ध कर सकेगी।
- 28. किसी पक्षकार की मृत्यु, विलयन, समनुदेशन, अर्जन या पारेषण के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना यदि किसी पक्षकार की मृत्यु पर मृतक के विधिक प्रतिनिधि पर न्यागमन द्वारा या समामेलन या विलयन, समनुदेशन, अर्जन या पारेषण द्वारा या विधि की क्रिया से कोई नया पक्षकार कार्यवाहियां जारी रखने के लिए हकदार हो जाता है तो इस बात के समर्थन में साक्ष्य के साथ अनुरोध फाइल करने के अधीन रहते हुए कार्यवाही जारी रहेगी ।
- 29. अभिलेखों के निरीक्षण और उसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए फीस (1) किसी लंबित अपील या आवेदन या निर्णीत मामले के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिए दूसरी अनुसूची में दी गई अनुसार फीस प्रभारित की जाएगी।
 - (2) अभिलेख के प्रत्येक पृष्ट की जिरोक्स प्रति उपलब्ध कराने के लिए दूसरी अनुसूची में विहित अनुसार फीस प्रभारित की जाएगी ।
- 30. उप रजिस्ट्रार के कृत्य (1) उप रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन कृत्यों का निर्वहन करेगा और वह ऐसे अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, जो उसे इन नियमों के अधीन या अध्यक्ष द्वारा लिखित में पृथक आदेश द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

- (2) अपील बोर्ड के अभिलेख उपरजिस्ट्रार अभिरक्षा में रहेंगे ।
- (3) अपील बोर्ड की शासकीय मुद्रा उपरजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखीं जाएगी ।
- (4) अध्यक्ष के किसी साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, अपील बोर्ड की शासकीय मुद्रा, उप रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के सिवाय, किसी आदेश, समन या अन्य आदेशिका पर नहीं लगाई जाएगी।
- (5) उप रजिस्ट्रर के लिखित में प्राधिकार के सिवाय अपील बोर्ड की शासकीय मुद्रा को अपील बोर्ड द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाया जाएगा ।
- 31. उप रिजस्ट्रार के अतिरिक्त कृत्य और कर्तव्य नियम 30 के अधीन सोंपे गए कृत्यों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, उप रिजस्ट्रार के कृत्य और कर्तव्य, अध्यक्ष के किसी साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, निम्निलिखत होंगे, अर्थात :-
 - (i) सभी अपीलों, आवेदनों, प्रतिकथनों, उत्तरों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना ;
 - (ii) अपीलों और आवेदनों की, उनके रिजस्ट्रीकरण से पूर्व, संवीक्षा से उदभूत होने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना ;
 - (iii) अपील बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील, आवेदन, प्रति कथन, उत्तर में नियमों के अनुसार संशोधन करने की अपेक्षा करना ;
 - (iv) अध्यक्ष के निदेशों के अधीन रहते हुए, अपीलों या आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई के लिए तारीख नियत करने और उसके लिए सूचना जारी करना ;
 - (v) अभिलेखों में औपचारिक संशोधन करने का निदेश देना ;
 - (vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय करने का आदेश देना ;
 - (vii) अपील बोर्ड के अभिलेख के निरीक्षण की इजाजत देना ;
 - (viii) किसी न्यायालय, पेटेंट नियंत्रक या अन्य प्राधिकरण से अभिलेखों की अध्यपेक्षा करना ;
 - (ix) प्रतिकथन, उत्तर, प्रत्युत्तर, आदि फाइल करने की बाबत समय-विस्तारण से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करना ।
- 32. अपील बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तकनीकी सदस्य और पक्षकारों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक संहिता -
 - (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए पोशाक, काले कोट और काली टाई या गले तक बंद बटन वाले काले कोट के साथ सफेद या काली पेंट होगी परन्तु यदि अधिकारी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ से हैं तो वे अपनी शासकीय पोशाक में होंगे।

- (2) अपील बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने वाले वृत्तिकों की पोशाक, उनकी वृत्तिक पोशाक, यदि कोई हो, होगी और पक्षकारों के अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधियों की दशा में यह निम्नलिखित होगी :-
- (क) पुरुष की दशा में सफेद /काली पेंट के ऊपर, काली टाई के साथ काला कोट या गले तक बंद बटन वाला काला कोट ।
- (ख) महिला की दशा में सफेद या किसी अन्य हल्के रंग की साड़ी के ऊपर काला कोट।
- (ग) अपील बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने वाले अन्य सभी व्यक्ति उचित पोशाक में होंगे ।

पहली अनुसूची

(नियम 2 और नियम 3 देखें)

अपील और आवेदन करने के लिए प्ररूप

क्रम सं.	बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के नियम	विषय	प्ररूप संख्या
1	2	3	4
1.	नियम 11	प्रतिकथन का फाइल किया जाना	प्ररूप 1
2.	नियम 16	समय विस्तारण के लिए याचिका	प्ररूप 2
3.	नियम 17	कार्यवाहियों में मध्यक्षेप की इजाजत के लिए याचिका	प्ररूप 3
4.	नियम 20	सुनवाई के स्थगन के लिए याचिका	प्ररूप 4
5.	नियम 26	अपील बोर्ड के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए याचिका	प्ररूप 5

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष

पहली अनुसूची

प्ररूप 1

(नियम 3 और नियम 11 देखें)

प्रतिकथन का प्ररूप

(दो प्रतियों में भरा जाए और उतनी ही प्रतियां संलग्न करें जितने रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता/प्राधिकृत प्रयोक्ता हों)

ओ.आर	ए/ओ.ए	. संख्य	π				के मामले में		
क.ख.	(विवरण	लिखें	जैसे	पूरा नाम,	राष्ट्रीयता,	पता,	रजिस्ट्रीकृत	कार्यालय	 •
					आवेट	क्त/अर्प	ोलार्थी		

बनाम

ग.घ. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास या कार्यालय का पता जिस पर प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों पर सूचनाओं की तामील की जानी है। प्रत्येक प्रत्यर्थी के विवरण कालानुक्रम में दिए जाएंगे)

प्रत्यर्थी
मैं/हम (1) यह सूँघना देता हूं/देते हैं कि निम्नलिखित ऐसे आधार हैं, जिन पर मैं/हम अपने आवेदन/पेटेंट के लिए निर्भर करता हूं/करते हैं :
Identification of the state of
में/हम, आवेदन/अपील में निम्नलिखित अभिकथनों को स्वीकार करता हूं/करते हैं :
·
इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं, भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :
······································
पेटेंट के रजिस्ट्रीकृत स्वामी या रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता का नाम और पता बताएं ।
सत्यापन
मैं, (प्रत्यर्थी/पेटेंटी का नाम), आयु वर्ष की राष्ट्रीयता, निवासी यह सत्यापित करता हूं कि पैरा से तक की अंतर्वस्तु मेरी व्यैक्तिक जानकारी में सत्य है और पैरा से तक का विधिक सलाह पर सत्य होने का विश्वास किया जाता है और मैंने किसी सारवान तथ्य को नहीं छिपाया है ।
रथान :
अधिवक्ता/अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्रत्यर्थी/पेटेंटी के हस्ताक्षर (हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)
सेवा में,
उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड, टिप्पण : फीस के लिए दूसरी अनुसूची देखें
ाटपण . कार्य के रेलर पूर्वक जिनुसूचा पच

प्ररूप 2

(नियम 16 देखें)

समय विस्तारण के लिए आवेदन
(दो प्रतियों में भरा जाए)
ओ.आर.ए/ओ.ए. संख्या के मामले में
क.ख. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय)
आवेदक/अपीलार्थी
बनाम
ग.घ. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास या कार्यालय का पता जिस पर प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थी पर सूचनाओं की तामील की जाती है। प्रत्येक प्रत्यर्थी के विवरण कालानुक्रम में दिए जाएंगे)
प्रत्यर्थी
मैं/हम जो उपर्युक्त मामले में हूं/हैं, निम्नलिखित आधारों पर के लिए समय विस्तारण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :
(0)) ::0 0
इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं, भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :
तारीख :
स्थान :
अपीलार्थी/आवेदक/प्रत्यर्थी/अधिवक्ता/अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)

सेवा में, उप रजिस्ट्रार, बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,

प्ररूप 3

(नियम 17 देखें)

रजिस्टर	के	परिशोधन	या	पेटेंट	रजिस्टर	से	पेटेंट	हटाने	से	संबंधित	कार्यवाहियो	में	मध्यक्षेप	करने	की
					इउ	गर	नत के	लिए	आ	वेदन					

रजिस्टर के परिशोधन या पेटेंट रजिस्टर से पेटेंट हटाने से संबंधित कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन
(मामले के कथन की दो प्रतियों के साथ दो प्रतियों में भरा जाए)
ओ.आर.ए/ओ.ए. संख्या के मामले में
क.ख. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय)
आवेदक/अपीलार्थी
बनाम
ग.घ. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास या कार्यालय का पता जिस पर प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों पर सूचनाओं की तामील की जाती है । प्रत्येक प्रत्यर्थी के विवरण कालानुक्रम में दिए जाएंगे) प्रत्यर्थी
के मामले में
मैं/हम उपरोक्त पेटेंट के संबंध में रजिस्टर परिशोधन करने तथा प्रविष्टि को हटाने से संबंधित कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।
पेटेंट में मेरा/हमारा हित है ।
इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं, भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :
सत्यापन
मैं,
तारीख : स्थान :
अधिवक्ता/अभिकर्ता के हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर (हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम) रोवा में,
उप रजिस्ट्रार,
बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,

प्ररूप 4

(नियम 20 देखें)

गर्न के कामन के निया गानिका

सुनवाई क स्थगन क लिए याचिका
(दो प्रतियों में भरा जाए)
ओ.आर.ए/ओ.ए. संख्या के मामले में
क.ख. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय)
आवेदक/अपीलार्थी
बनाम्
ग.घ. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास या कार्यालय का पता जिस पर प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों पर सूचनाओं की तामील की जाती है। प्रत्येक प्रत्यर्थी के विवरण कालानुक्रम में दिए जाएंगे)
प्रत्यर्थी
ें के मामले में मैं/हम जो उपर्युक्त मामले में हूं/हैं, के लिए नियत सुनवाई को निम्नलिखित आधारों पर मास के लिए स्थगित करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :
इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएं, भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
तारीख :
स्थान :
अपीलार्थी/आवेदक/प्रत्यर्थी/ अधिवक्ता/अभिकर्ता के हस्ताक्षर (हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम)
सेवा में,
उप रजिस्ट्रार,

बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,

प्ररूप 5

(नियम 26 देखें)

अपील बोर्ड के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए याचिका
(दो प्रतियों में भरा जाए और उतनी ही प्रतियां संलग्न करें जितने रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता/प्राधिकृत प्रयोक्ता हों)
के मामले में
क.ख. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय)
याची
ग.घ. (विवरण लिखें जैसे पूरा नाम, राष्ट्रीयता, पता, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास या कार्यालय का पता जिस पर प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों पर सूचनाओं की तामील की जाती है । प्रत्येक प्रत्यर्थी के विवरण कालानुक्रम में दिए जाएंगे)
प्रत्यर्थी
के मामले में, मैं/हम जो उपर्युक्त मामले में हूं/हैं, उपर्युक्त मामले में, अपील बोर्ड ने उनके
तारीख के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।
इस आवेदन को करने के आधार संलग्न कथन में दिए गए हैं ।
सत्यापन
में
रथान :
अधिवक्ता/अभिकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदक के हस्ताक्ष
(हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम
सेवा में

सेवा में, उप रजिस्ट्रार, बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड,

दूसरी अनुसूची (नियम 6 देखें) फीस

प्रविष्टि	किसके लिए संदेय	राशि रुप	ाए में	संबंधित
सं.		प्रकृत व्यक्ति के लिए	प्रकृत व्यक्ति सेः भिन्न के लिए, या तो प्रकृत व्यक्तियों के साथ या संयुक्त रूप	संख्या
(1)	(2)	(3)	से (4)	(5)
1.	प्रतिकथन का फाइल करने के संबंध में	2000/-	4000/-	1
2.	समय विस्तारण की याचिका के संबंध में	1000/- रु. प्रति मास या उसका भाग	2000/- रु. प्रति मास या उसका भाग	2
3.	मध्यक्षेप की इजाजत के लिए याचिका	2000/-	- 4000/-	3
4.	सुनवाई के स्थगन के लिए याचिका के संबंध में	1000/- रु. प्रति मास	2000/- रु. प्रति मास	4
5.	बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए याचिका	3000/-	₹ 6000/-	5
6.	लंबित अपील या विनिश्चित मामले के आवेदन के अभिलेख के निरीक्षण के लिए फीस	1	प्रति घंटा या उसका भाग	
7.	दरतावेजों की फोटोप्रतियों के प्रदाय के लिए फीस	5/- रु. प्रति पृष्ठ	· ·	
8.	अन्यथा रूप से उपबंध नहीं किए गए किसी याचिका को फाइल करने के लिए	2000/-	4000/-	-

[फा. सं. 7(9)/2007-आईपीआर.आई. (आईपीएबी)]

वी. भास्कर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2010

- G.S.R. 930(E).—In exercise of the powers conferred by section 117 H of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Appellate Board hereby makes the following rules, namely: -
 - 1. **Short titl**e and commencement. (1) These rules may be called the Intellectual Property Appellate Board (Patents Procedure) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Patents Act, 1970 (39 of 1970);
 - (b) "address for service" means the address furnished by an appellant or applicant or respondent or his authorised agent or his legal practitioner at which service of summons, notices or other processes may be effected:
 - (c) "agent" means a person duly authorised by an appellant or applicant or respondent to present appeal, application, counter-statement, reply, rejoinder, evidence or any other document on his behalf before the Appellate Board and shall include a patent agent referred to in section 125 of the Act;
 - (d) "appeal" means an appeal under section 117A and includes Original Appeal (O.A.) and, Transferred Appeal (T.A.) pursuant to section 117G;
 - (e) "appellant" means a person making an appeal to the Appellate Board under section 117A;
 - (f) "application" means an application for rectification of register of patents under section 71 or a petition for revocation of patents under section 64;
 - (g) "Deputy Registrar" means the Deputy Registrar of the Appellate Board and includes any officer to whom the powers and functions of the Deputy Registrar may be delegated;
 - (h) "fee" means the fee prescribed under the Second Schedule to these rules;
 - (i) "Form" means a form appended to these rules;
 - (j) "legal practitioner" shall have the same meaning as assigned to it in the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

- (k) "legal representative" means a person who in law represents the estate of the deceased person;
- (I) "Miscellaneous Petition" means any petition or request in writing made to the Appellate Board not being an application under section 64 or section 71 or an appeal under section 117A;
- (m) "pleadings" includes appeals or applications, counter-statements, rejoinders and replies permitted to be filed before the Appellate Board;
- (n) "Registry" means the Registry of the Appellate Board;
- (o) "Schedule" means a Schedule to these rules;
- (p) "section" means a section of the Act;
- (a) "transferred appeal or application" means an appeal or an application or other proceedings which has been transferred to the Appellate Board under section 117G;
- (r) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act or the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Trade Marks Act, 1999.
- 3. Form of procedure of appeal or application. (1) An appeal against a decision, order or direction of the Controller or Central Government, under section 117A shall be filed in the Form 1 annexed to the First Schedule to the Patents (Appeals and Applications to the Intellectual Property Appellate Board) Rules 2010.
 - (2) An application for rectification or revocation of patents shall be filed in the Form 2 annexed to the First Schedule to the Patents (Appeals and Applications to the Intellectual Property Appellate Board) Rules, 2010.
 - (3) An appeal or application sent by post shall be deemed to have been presented before the Registry on the day it was received in the Registry.
- 4. Appeal or application to be in writing. (1) Every appeal, application, counter-statement, rejoinder, reply or other document filed before the Appellate Board shall be typed or printed neatly on one side of the full scape sheet only.
 - (2) The appeal or application under sub-rule (1) shall be presented in two sets in a paper-book form along with an empty file size envelope strong enough and sufficiently big to enable covering of the paper book bearing full address of the respondent and, in case the respondents are more than one, then, sufficient number of extra paper-books together with empty file size envelopes as required bearing full addresses of each respondent shall be furnished by the appellant or applicant.
- 5. Documents to accompany appeal or application. (1) Every application shall be accompanied by evidence relied upon in support of the application in the form of affidavits with exhibits, if any, annexed thereto in paper-book form.

- (2) Every appeal filed shall be accompanied by the copies of the order, at least one of which shall be a certified copy, against which the appeal is filed.
- (3) The documents intended to be attached to an affidavit shall be referred to as Exhibits and shall be marked in the same manner as exhibits admitted by the Appellate Board.
- (4) Every appeal or application, if filed by a person other than the appellant or applicant, then an affidavit stating the competency of the person shall be filed along with such appeal or application and the affidavit shall state the name and address and sufficiently describe the identity of the deponent and shall also state in what capacity he is so doing and whether he is authorised and if so by whom and by what instrument and a copy thereof shall be annexed to the addavit.
- (5) Where a party is represented by and authorised representative, a copy of the authorisation to act as the authorised representative shall be appended to the appeal or application.
- 6. Fees.- The fees for filing counter-statement, petition for intervention by third party, extension of time, adjournment of hearing and review petition before the Appellate Board shall be as provided in the Second Schedule, which shall be paid by way of bank draft drawn in favour of the Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate Board, payable at Chennai.
- 7. Authorisation.- (1) An appeal, application or petition shall be presented by the parties or an advocate having a vakalat duly executed in his/her favour and duly accepted by him/her or by a patent agent having valid authorisation.
 - (2) All communications directed to be made to a person in respect of any proceeding or matter may be addressed to such advocate or agent and service on the advocate or agent shall be deemed to be service upon the person so authorising him and all appearances before the Appellate Board may be made by or through such advocate or agent.
- 8. Verification of the appeal or application. Every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the Appellate Board to be authorised to verify the appeal or application and the person verifying shall specify that what he verifies is his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true by reference to the numbered paragraphs of the pleading and shall be signed by the person making it and shall state the date on which it was signed and the place where it was signed.
- 9. Presentation and scrutiny of appeal or application. (1) The Deputy Registrar shall endorse on every appeal or application the date with his signature on which it is presented.

- (2) If, on scrutiny, the appeal or application is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number and if any defect is noticed, the appeal or application shall not be registered until such defect is rectified.
- (3) If an appeal or application is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Deputy Registrar may allow the appellant or applicant to rectify the same in his presence and if the said defect is not formal in nature, the Deputy Registrar may allow the appellant or applicant fifteen days time to rectify the defect as he may deem fit and if the appeal or application has been sent by post and found to be defective, the Deputy Registrar shall communicate the defects to the appellant or applicant and allow the appellant or applicant fifteen days time from the date of receipt of the communication from the Deputy Registrar, to rectify the defects.
- (4) If the appellant or applicant fails to rectify the defects within the time allowed under sub-rule (3), the appeal or application shall be deemed to have been abandoned, unless the time is extended or the delay is condoned in rectifying the defect, in either case not exceeding 30 days as the case may be, by the Deputy Registrar.
- 10. Notices of appeal or application to the respondents. A copy of the appeal or application in paper-book form shall be served by the Registry on the respondents as soon as the same is registered in the Registry.
- 11. Filing of counter-statement to the appeal or application and other documents by the respondent. After receipt of the appeal or application filed in the prescribed Form 1 or Form 2, as the case may be, given in the First Schedule, the respondent may file two complete sets of counter-statement in the Form 1 of the First Schedule along with fees and documents including evidence in the form of affidavits, if any, in paper-book form before the Registry within two months from the date of service of the notice on him of the filing of the application or appeal and a copy of the counter-statement along with the documents shall be served to the applicant or appellant by the respondent directly under intimation to the Registry and the case shall then proceed for hearing.
- 12. Affidavit and Exhibits. (1) The affidavits shall be, headed in the matter or matters to which they relate, drawn up in the first person, divided into paragraphs, consecutively numbered; and each paragraph shall, as far as practicable, be confined to one subject. Every affidavit shall state the description and the true place of abode of the person making the same, shall bear the name and address of the person filing it and shall state on whose behalf it is filed.
 - (2) Where two or more persons join in an affidavit, each of them shall depose separately to such facts which are within his personal knowledge and those facts shall be stated in separate paragraphs.
 - (3) Affidavits shall be taken ---
 - (a) in India, before any court or person having by law authority to receive evidence, or before any officer empowered by such court as aforesaid to administer oaths or to take affidavits;

- (b) in any country or place outside India, before a diplomatic or consular officer, within the meaning of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fee) Act, 1948, or such country or place, or before a notary public, or before a Judge or a Magistrate, of the country or place.
- (4) The person before whom an affidavit is taken shall state the date on which and the place where the same is taken and shall affix his seal, if any, or the seal of the court to which he is attached thereto and sign his name and designation at the end thereof.
- (5) Any affidavit purporting to have been affixed, impressed or subscribed thereto or thereon the seal or signature of any person authorised by sub-rule (4) to take an affidavit, in testimony of the affidavit having been taken before him, may be admitted by the Deputy Registrar without proof of the genuineness of the seal or signature or of the official character of that person.
- (6) Alterations and interlineations shall, before an affidavit is sworn or affirmed, be authenticated by the initials of the person before whom the affidavit is taken.
- (7) Where there are exhibits to affidavits, a copy each of such exhibits shall be sent to the other party or parties and the originals shall be produced whenever so required at the Registry for inspection by the other party and shall be produced at the time of hearing unless the Appellate Board otherwise directs.
- 13. Filing of reply by the appellant or applicant. After receipt of counter-statement, the appellant or applicant may file his reply within two months of the service of the counter-statement along with the evidence in the form of affidavits, if any, in duplicate in the Registry and a copy of the reply shall be served on the respondent directly under intimation to the Registry.
- 14. Filing of Additional documents in appeal.- No party shall, except with the leave of the Appellate Board had and obtained by request made in writing in the form of a petition, copy whereof, shall serve upon the opposite parties, rely upon any document or file any such document in the appeal paper book which have not been previously filed before the Controller.
- 15. Translation of documents. Where a document in a language other than Hindi or English is referred to in any proceeding, an attested translated copy thereof in Hindi or English duly verified by the person, having the authority to do so, shall be furnished in duplicate to the Appellate Board and a copy thereof shall be served upon the other party or parties directly under intimation to the Registry.
- 16. Extension of time. (1) If the Appellate Board is satisfied, on a petition along with the prescribed fee made to it in Form 2 that there is sufficient cause for extending the time for doing any act prescribed under these rules (not being a time expressly provided for in the Act) whether the time so specified has

expired or not, it may subject to such conditions as it may deem fit to impose, extend the time and inform the parties accordingly.

- (2) Nothing in sub-rule (1) shall be deemed to require the Appellate Board to hear the parties before disposing of the petition for extension of time.
- 17. Intervention by third parties. Any person other than the patentee alleging interest in a granted patent in respect of which an appeal has been filed under section 117A against the order or decision of the Controller or in an application for the revocation of the patent or to rectify the Register may apply in the prescribed Form 3 given in the First Schedule along with prescribed fees for leave to implead/intervene, stating the nature of his interest and the Appellate Board may refuse or grant such leave after hearing, if so required, the parties concerned upon such terms and conditions as it deems fit.
- 18. Date of hearing to be notified. The Registry shall notify the parties the date, time and place of hearing of the appeal or application in such manner as the Chairman may by general or special order direct.
- 19. Hearing of appeal or application. (1) On the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the parties shall be heard by a Bench of the Appellate Board.
 - (2) In case where the appellant, applicant or petitioner does not appear at the hearing, the appeal or application or the petition may be treated as abandoned unless he seeks an adjournment under rule 20.
- 20. Adjournment of hearing. A party to the hearing may make a petition in duplicate for adjournment of the hearing in Form 4 with the prescribed fee fifteen days before the date of hearing after serving a copy of the petition for the adjournment upon the other party and the Appellate Board may consider the petition and pass such order as it deems fit.
- 21. Award of costs by the Appellate Board. The Appellate Board may award such costs as it deems fit to the parties having regard to all the circumstances of the case.
- 22. Language of the Appellate Board. (1) The proceedings of the Appellate Board shall be conducted in English or Hindi.
 - (2) All decisions or orders of the Appellate Board shall be either in English or Hindi.
- 23. Order to be signed and dated. (1) Every order of the Appellate Board shall be signed and dated by the Members of the Bench.
 - (2) The order shall be pronounced in the sitting of the Bench.

- 24. Communication of orders. A certified copy of every order passed by the Bench shall be communicated to the appellant and respondents or their authorised agent or their legal practitioners.
- 25. Publication of the orders. The orders of the Bench as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman may decide.
- 26. Review Petitions.- (1) A petition in duplicate for review limited to procedural or clerical errors of an order of the Appellate Board may be made to the Registry in the prescribed. Form 5 given in the First Schedule along with the prescribed fee within two months from the date on which the order is communicated accompanied by a statement setting forth the grounds on which the review is sought and where the order in question concerns more than one respondent, sufficient extra copies of such petition and statement shall be filed.
 - (2) The Registry shall forward the petition and statement to the respondents to the review petition.
 - (3) The respondents may file counter-statement in the prescribed Form 4 given in the First Schedule within two months from the date of receipt of the review petition and shall forward a copy of the counter-statement to the petitioner directly under intimation to the Registry.
 - (4) The review petition shall be posted for hearing before a Bench by the Registry.
- 27. Rectification of Orders. Notwithstanding anything contained in rule 26, the Appellate Board or the members constituting the Bench that passed any judgment, order or direction may at any time either suo motu or upon request in writing made by any party to the proceedings rectify or correct any clerical error in any such judgment, order or direction.
- 28. Continuation of proceedings after the death of a party, merger, assignment, acquisition or transmission. On the death of a party by devolution on the legal representative of the deceased or by amalgamation, merger, assignment, acquisition, transmission, or by operation of law if a new party becomes entitled for continuation of the proceedings, the proceeding shall be continued subject to filing a request in writing along with evidence in support thereof.
- 29. Fee for inspection of records and obtaining copies thereof. (1) A fee for every hour or part thereof shall be charged for inspecting the records of a pending appeal or application or decided case, as given in the Second Schedule.
 - (2) A fee shall be charged for providing xerox copy of each page of the record as prescribed in the Second Schedule.
- 30. Functions of the Deputy Registrar. (1) The Deputy Registrar shall discharge the functions under the general superintendence of the Chairman and shall discharge such other functions as are assigned to him under these rules or by the Chairman by a separate order in writing.

- (2) The Deputy Registrar shall be the custodian of the records of the Appellate Board.
- (3) The official seal of the Appellate Board shall be kept in the custody of the Deputy Registrar.
- (4) Subject to any general or special directions of the Chairman, the official seal of the Appellate Board shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing from the Deputy Registrar.
- (5) The official seal of the Appellate Board shall not be affixed to any certified copy issued by the Appellate Board save under the authority in writing of the Deputy Registrar.
- 31. Additional functions and duties of the Deputy Registrar. In addition to the functions and duties assigned under rule 30, the Deputy Registrar shall have the following functions and duties subject to any general or special orders of the Chairman, namely:-
 - (i) to receive all appeals, applications, counter-statements, replies and other documents:
 - (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeals and applications before they are registered;
 - (iii) to require any appeal, application, counter-statement, replies presented to the Appellate Board to be amended in accordance with the rules;
 - (iv) subject to the directions of the Chairman, to fix date of hearing of the appeals or applications or other proceedings and issue notices therefor;
 - (v) direct any formal amendment of records;
 - (vi) to order supply of copies of documents to parties to the proceedings;
 - (vii) to grant leave to inspect the records of the Appellate Board;
 - (viii) to requisition records from the custody of any court, Controller of Patents or other authority;
 - (ix) to decide questions relating to extension of time in respect of filing of counter-statement, reply, rejoinder, etc.
- 32. Dress code for the Chairman, Vice-Chairman, Technical Member of the Appellate Board and for the representatives of the parties. (1) The dress for the Chairman, Vice-Chairman and other Members shall be white or black pant with black coat and black tie or a buttoned-up black coat: Provided that if the officials are formerly from the High Court Bench, then they shall be in their official robes.
 - (2) The professionals who appear before the Appellate Board shall be in their professional dress, if any, and in case of other authorised representatives of the parties, it shall be the following:-
 - (a) in the case of male, a black coat with a black tie or buttoned-up black coat over a white/black pant.
 - (b) in the case of female, a black coat over white or any other sober coloured saree.
 - (c) all other persons appearing before the Appellate Board shall be properly dressed.

THE FIRST SCHEDULE

(See rules 2 & 3)

FORMS FOR MAKING APPEALS AND APPLICATIONS

S.No.	Rules of the IPAB	Title	Form Number
1	2	3	4
<u>'</u> —	Rule 11	On filing counter-statement	Form 1
1	Rule 16	On petition for extension of time	Form 2
2.		On petition for leave to intervene in proceedings	Form 3
3	Rule 17	On petition for adjournment of hearing	Form 4
4.	Rule 20	On permon for adjointment of realing	Form 5
5.	Rule 26	On petition to review of the order of Appellate Board	FOIII 3

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD THE FIRST SCHEDULE

FORM 1

(See rule 3 and 11)

Form of Counter-Statement

(To be filed in duplicate and accompanied by as many copies as there are registered users / authorized users under the registration)

In the	matter	of O.R.A.	/O.A No.	
--------	--------	-----------	----------	--

A.B. (add description such as full name, nationality, address, registered office.....)

APPLICANT/APPELLANT

VS.

C.D. (add description such as full name, nationality, address, registered office and the residential or official address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to be given in a chronological order).

RESPONDENT

1 / we [1]	that the following are the grounds
I / we admit the following allegations in the applic	cation/ appeal:-
All communications relating to these proceeding address in India:-	gs may be sent to the following

State the name and address of the registered patent.	proprietor or registered user of
VERIFICATION	
I	t ofdo toare true to myare believed to be true ny material fact.
Place:	
Signature of Advocate/Agent	Signature of the Respondent/ Patentee
	(FULL NAME OF THE SIGNATORY)
To, The Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate Board,	
Note: For fee see second schedule	

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

FORM 2

(See rule 16)

Application for extension of time

(To be filed in duplicate)

In the matter of O.R.A./O.A No
A.B. (add description such as full name, nationality, address, registered office)
APPLICANT/APPELLANT
VS.
C.D. (add description such as full name, nationality, address, registered office and the residential or official address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to be given in a chronological order).
RESPONDENT
In the matter of
All communications relating to these proceedings may be sent to the following address in India:-
••••••
••••••
Date: Place:
Signature of Appellant/Applicant/ Respondent/Advocate/Agent (FULL NAME OF THE SIGNATORY)
То
The Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate Board, Note: For fee see second schedule

in India:

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

FORM 3

(See rule 17)

Application for leave to intervene in proceedings relating to the rectification of the register or the removal of patent from the register of patents.

(To be filed in duplicate together with a statement of case in duplicate)
In the matter of O.R.A./O.A No
A.B. (add description such as full name, nationality, address, registered office)
APPLICANT/APPELLANT
vs.
C.D. (add description such as full name, nationality, address, registered office and the residential or official address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to be given in a chronological order).
RESPONDENT
In the matter of the Patent Nogranted in the name o
I / we
My / our interest in the patent
•••••••••••••

All communications relating to this application may be sent to the following address

• • •	• • •	• •	•	•	• •	•	•	•	 •	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
		••			•														•		•	•	•	•		•	•	•		•					•									•	•					

VERIFICATION

I	ent ofare true to my or are true to my or
Dated thisd	ay of
Place: Signature of Advocate/Agent	Signature of the Applican

(FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To,

The Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate Board,

Note: For fee see second schedule

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

FORM 4

(See rule 20)

Petition for adjournment of hearing

(To be filed in duplicate)

In the matter of O.R.A./O.A No
A.B. (add description such as full name, nationality, address, registered
office) APPLICANT/APPELLANT
VS.
C.D. (add description such as full name, nationality, address, registered office and the residential or official address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to be given in a chronological order).
RESPONDENT
In the matter of
Webeing thein the above matter hereby apply for adjournment of the hearing fixed for
formonth on the following grounds:-
All communication relating to these proceedings may be sent to the following address in India:
Dated, thisofof
Place:
Signature of Appellant/Applicant/ Respondent/Advocate/Agent (FÙLL NAME OF THE SIGNATORY)
То
The Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate Board,
Note: For fee see second schedule

BEFORE THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD

FORM 5

(See rule 26)

Polition for review of the order of the Annellate Roard

(To	be	filed	in	duplicate	and	accompanied	by	as	many	copies	as	there	are
regis	tere	ed use	ers /	authorized	d user	rs under the reg	istra	tion)				

Petition for review of the order of the Appellate Board
(To be filed in duplicate and accompanied by as many copies as there are registered users / authorized users under the registration)
In the matter of
A.B. (add description such as full name, nationality, address, registered office) represented by its Partner/Principal Officer/duly authorized Power of Attorney
PETITIONER
C.D. (add description such as full name, nationality, address, registered office and the residential or official address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to be given in a chronological order). RESPONDENT
In the matter f
The grounds for making this application are set forth in the accompanying
statement. VERIFICATION
I
Place:
Signature of Advocate/Agent Signature of the Applicant

Applicant (FULL NAME OF THE SIGNATORY)

To, The Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate Board, Note: For fee see second schedule

THE Second SCHEDULE

(See rules 6)

FEE

		Amoun		
Entry No.	On what payable	For Natural Person		Relevant Form
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	On filing Counter-Statement	2000/-	4000/-	1
2.	On petition for extension of	1000/- per	2000/-	2
	time	month or part	per month or part	
		thereof	thereof	
3.	On petition for teave to intervene	2000/-	4000/-	3
4.	On petition for adjournment of	1000/- per	2000/-	4
	Hearing	month	per month	
5.	On petition to review of the order of the IPAB	3000/-	6000/-	5
6.	Fee for inspection of records of	150/-	300/-	_
·	pending appeal or application	per hour or	per hour or part	
	of decided case.	part thereof	thereof	
7.	Fee for supplying photocopies	5/-	5/-	_
	of the documents	per page	per page	
8.	Filing of a petition not other wise provided for	2000/-	4000/-	-

[F. No. 7(9)/2007-IPR.I. (IPAB)] V. BHASKAR, Jt. Secy.